

183  
25

पत्रावली पेश हुई। वकील जर्जी एफ।  
वकील जर्जी की सूचना की वकील  
सुनी गई। इस न्यायालय द्वारा  
दिनांक 20.6.2023 को जारी की  
गई वरुदापी निवेदन को  
मूल वाद के निस्तारण तक  
वकील विदा जा रहा है। पत्रावली  
के मात सुनार के मात जर्जी  
के मात है। मूल वाद के मात  
संलग्न है।

सहायक कलेक्टर  
बड़ीसादड़ी

